UPMP010073342025

न्यायालय Adj/Spl. Judge (POCSO)Act, Mainpuri

पीठासीन अधिकारी– (JEETENDRA MISHRA), **(उ०प्र० न्यायिक सेवा) – UP06300**

निस्तारण जमानत प्रार्थना पत्र सं० 2301/2025

कुलवेन्द्र उर्फ कल्लू पुत्र बाबा निवासी कमलपुर थाना कुरावली जिला मैनपुरी

–––आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उ.प्र. राज्य –––विपक्षी/वादी

आदेश

प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक/अभियुक्त कुलवेन्द्र उर्फ कल्लू द्वारा मुकदमा अपराध सं० 523/2025 अन्तर्गत धारा 74,333,65(1),351(2) BNS व धारा 7/8 पॉक्सो अधिनियम थाना कुरावली जिला मैनपुरी के प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है। जमानत आवेदन के अनुसार अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। इस जमानत प्रार्थना पत्र के अलावा अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में न ही विचाराधीन है और न ही खारिज हुआ है। समर्थन में शैलेन्द्र यादव का शपथ पत्र दाखिल किया गया है। कार्यालय आख्या के अनुसार अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा द्वारा एक प्रार्थना पत्र सम्बन्धित थाने पर इस आशय का दिया गया कि ''मैं आज ता० 06–12–2025 को अपनी बुआ के यहाँ नगला कोडर अपनी पत्नी के साथ गया हुआ था मेरी लड़की घर पर अकेली थी। मेरे बाद में मेरी लड़की पीड़िता उम्र 16 वर्ष के पास घर में कुलवेन्द्र उर्फ कल्लू पुत्र बाबा घर में घुस गया, अन्दर घर में बृजेश पुत्र रामवीर, नायब सिंह पुत्र गोरे लाल ने देख लिया। मेरी लड़की के साथ अश्लील हरकत कर रहा था और मेरी लड़की के छेड़छाड़ भी की थी। जब उसे पकड़ने की कोशिश की तो वहाँ से भाग गया।''

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की तरफ से जमानत प्रार्थना पत्र में तथा न्यायालय में प्रस्तुत मौखिक तर्को के माध्यम से यह कहा गया है कि अभियुक्त को उपरोक्त केस में गलत तथ्यों के आधार पर झूठा नामित किया गया है। अभियुक्त को गांव की पार्टी बंदी के तहत फंसाया गया है। वादी मुकदमा की पुत्री पीड़िता ने अभियुक्त को स्वयं मोबाइल नम्बर 9897534507 से फोन किया कि हमारे घर पर आ जाओ कोई आवश्यक कार्य है। अभियुक्त ने वादी की पुत्री पर भरोसा कर लिया और उक्त कॉल पर चला गया। जैसे ही अभियुक्त वादी के घर में गया वैसे ही बाहर से कुण्डी बंद कर दी और अभियुक्त को घर के अंदर बुरी तरह से मारने पीटने लगे जो पीड़िता ने स्वयं अपने 161 दं०प्र०सं० के बयानों में उल्लेख किया है। पीड़िता ने स्वयं 112 नम्बर पर फोन करके पुलिस को बुलाया तथा सारी बात पुलिस को बतायी कि हमने स्वयं अभियुक्त को अपने फोन से फोन करके बुलाया है। अभियुक्त की कोई गलती नहीं इन्हें गलत तरीके से हमारे घर वाले फांस रहे है और हमारे घर वाले हमें मार डालेंगे इसलिये हमें अपने घर ले चलो। पीड़िता स्वयं 112 तथा कुरावली पुलिस की मदद से तथा कुरावली

गयी जहाँ से एक दिन बाद पीड़िता को वन स्टाप सेन्टर मैनपुरी भेज दिया जहाँ पर घर वालों के दबाव के काण पीड़िता का बयान चेन्ज करवाया। पीड़िता की वास्तविक उम्र 08–03–2007 प्राथमिक विद्यालय कमलपुर के कक्षा–5 के रिकार्ड के अनुसार है जिसके अनुसार पीड़िता बालिग है परन्तु उसने झूठा अपने आपको नाबालिग दर्शाया है। पीड़िता के धारा 161 व 164 के बयानों में विरोधाभाष है तथा वादी मुकदमा द्वारा इस तरह की कोई घटना नहीं दिखायी गयी है केवल छेड़छाड़ वाली बात दर्शायी गयी है। उपरोक्त घटना का कोई भी चश्मदीद साक्षी नहीं है। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियुक्त उचित जमानत देने को तैयार है। अतः बचाव पक्ष द्वारा उसे जमानत दिये जाने की याचना की गयी।

वादी मुकदमा को प्रेषित नोटिस तामील है। वादी मुकदमा के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा जमानत का विरोध करते हुए कहा गया है कि पीड़िता नाबालिग है। जब पीड़िता के घर पर कोई नहीं था तभी मौके का फायदा उठाकर अभियुक्त पीड़िता के घर में घुस आया तथा पीड़िता का मुंह बंद करके तथा उसकेके कपड़े उतार कर जबरदस्ती बलात्कार किया। पीड़िता ने धारा 183 बी०एन०एस०एस० के स्तर पर अभियुक्त के विरुद्ध गम्भीर एवं विशिष्ट कथन किये है। पीड़िता और अभियुक्त एक ही गांव के रहने वाले हैं इसलिये अभियुक्त को यदि जमानत पर रिहा किया गया तो वह साक्ष्य को प्रभावित कर सकता है। अभियुक्त जमानत पाने का हकदार नहीं है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया जिससे प्रकट होता है कि वर्तमान मामले में प्रारम्भिक रुप से विवेचक द्वारा संकलित साक्ष्य के अनुसार पीड़िता की जन्मतिथि हाईस्कूल में 05–03–2010 दर्ज है। चिकित्सीय परीक्षण में उसकी आयु विवेचक के अनुसार 17 वर्ष निर्धारित की गयी है और बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रलेख जो पीड़िता के विद्यालय प्राथमिक विद्यालय कमलपुर विकास खण्ड मैनपुरी से सम्बन्धित है जहाँ पीड़िता कक्षा–4 तक पढ़ी है में पीड़िता की जन्मतिथि 08–03–2007 दर्ज है। विवेचक उपस्थित हैं। उनके द्वारा यह कहा गया कि वादी ने भी उन्हें पीड़िता के इस स्कूल में पढ़ने की बात बतायी थी। इस प्रकार प्राथमिक स्कूल में दर्ज जन्मतिथि के अनुसार पीड़िता घटना के दिनांक पर बालिग थी। चिकित्सीय रुप से निर्धारित पीड़िता की उम्र 17 वर्ष और हाईस्कूल में दर्ज जन्मतिथि में वह लगभग 15 वर्ष की थी। अतः पीड़िता की आयु के सम्बन्ध में विसंगतियाँ दृष्टिगत हुयी है। उल्लेखनीय है कि पीड़िता की वास्तविक आयु का निर्धारण समग्र विचारण के उपरान्त ही किया जा सकेगा। अब यह देखा जाना है कि क्या अभिकथित अपराध केवल पीड़िता की आयु पर आधारित है। पीड़िता द्वारा धारा 180 बी०एन०एस०एस० के बयानों में स्वयं अभियुक्त को अपने घर बुलाने और अभियुक्त का उसके घर 3–4 घंटा रुकने और अपनी मर्जी से शारीरिक सम्बन्ध बनाने की बात कही है। परन्तु विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष दिये गये बयान अन्तर्गत धारा 183 बी०एन०एस०एस० में पीड़िता ने अभियुक्त के विरुद्ध विशिष्ट और गम्भीर अभिकथन किये है। पूर्व परिचय के आधार पर अभियुक्त का पीड़िता के घर आना और पीड़िता का मुंह बंद करके पीड़िता के साथ जबरदस्ती शारीरिक सम्बन्ध बनाना कहा है। पीड़िता ने आगे यह भी कहा है कि अभियुक्त को मना करने पर वह नहीं माना और उसने पीड़िता के कपड़े उतार दिये और जबरदस्ती शारीरिक सम्बन्ध बनाये। अभियुक्त 4–00 बजे पकड़ा गया। पीड़िता ने यह भी कहा कि अभियुक्त के चाचा उसे धमका रहे हैं कि वह बेटे से शादी कर ले और

पीड़िता को पैसे दिखा रहे हैं। उपरोक्त बयानों से स्पष्ट है कि मामले में अभियुक्त के विरुद्ध किये गये अभिकथन केवल पीड़िता की आयु पर आधारित नहीं है। अन्यथा की दशा में भी अभिकथन गम्भीर और विशिष्ट हैं। अभियोजन द्वारा साक्ष्य को प्रभावित किये जाने की सारवान सम्भावना व्यक्त की गयी है। अतएव मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत अपराध की गम्भीरता , अपराध कारित करने की प्रकृति, अपराध में प्रावधानित दण्ड की मात्रा, व्यापक लोक हित तथा सामाजिक परिणाम पर विचार करने के उपरान्त न्यायालय की राय में आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर मुक्त करने का यह उचित मामला नहीं है। अतः अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/ अभियुक्त कुलवेन्द्र उर्फ कल्लू की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संख्या 2301/2025 निरस्त किया जाता है।

दिनांकः–06–01–2026

(**जितेन्द्र मिश्रा**)

विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट,

मैनपुरी